संख्याः 29/2017/2786/78-2-2017-97आई0टी0/2017टीसी

प्रेषक

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

प्रबंध निदेशक
यूपीएलसी
गोमती नगर

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर 2017

विषयः- ई-टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था हेतु बैंक खाता खोले जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-यूपीएलसी/ई-प्रोक्योरमेंट-2017-2018 दिनांक 6-9-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में जवाहर भवन लखनऊ स्थित भारतीय स्टेट बैंक में यूपीएलसी द्वारा प्रस्तावित खाते खोले जाने एवं संबंधित कार्यवाही के सम्पादन के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को अधिकृत करते हुए वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 व शासनादेश संख्या-10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 शासनादेश संख्या-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 23 सितम्बर 2015 व शासनादेश संख्या-3/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010 दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2778/78-2-2017-97आई0टी0/2017टीसी दिनांक 5 सितम्बर 2017 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के तहत सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) शासकीय विभागों के लिये (जिनके बिलों के आहरण कोषागार के माध्यम से होता है) कॉमन पूलिंग एकाउण्ट (Non Opration Account) के लिए U.P.E-Tender Online Account-Govt.

(2) सार्वजनिक उपक्रमों/ संस्थाओं इत्यादि के लिये एक सिंगल पूलिंग एकाउण्ट अथवा मल्टी पूलिंग एकाउण्ट (Non-Oprating Account) के लिये U.P.E-Tender Online Account-Govt. खोले जायेंगे।

(3)- उक्त उल्लिखित दोनों खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज देय होगा। शासकीय विभागों के खाते का ब्याज मासिक/त्रैमासिक आधार पर यूपीएलसी द्वारा संबंधित लेशाशीर्ष जिसका निर्णय वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा में जमा करा दिया जायेगा। सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं के खाते का ब्याज मासिक/त्रैमासिक आधार पर यूपीएलसी को उनके द्वारा ई-टेण्डरिंग से संबंधित किये गये कार्यो के सापेक्ष प्राप्त होगा जिसका व्यय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव आई0टी0 एवं इले0 विभाग की सहमति से किया जायेगा। इन खातों में प्राप्त होने वाली सभी धनराशियों तथा उनके अंतरण इत्यादि के स्टेटमेंट्स के भारतीय स्टेट बैंक तथा ई-प्रोक्योरमेंट केन्द्र के मध्य आदान-प्रदान हेतु एक नियमित तंत्र(Regular Mechanism) विकसित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत खाते संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा बैंक को भेजे जाने वाले निर्देशों के अधीन बैंक ही संचालित किये जायेंगे।

(5) दोनो खाते महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ़0ए0-1-322/दस-2017 दिनांक 22 सितम्बर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव

संख्या एवं तद्दिनाक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

1- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी उ0प्र0 एकक लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव

http://shasanades .up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।